संख्या–612/9–आ–3–98–7 वि0/98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 10 मार्च, 1998

विषय : भवन मानचित्र स्वीकृति के समय पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण।

महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–146/9–आ–3–98–7वि0/98, दिनॉक 22–1–1998 द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा भवन मानचित्र को स्वीकृति के समय निर्माणकर्ता से लिए जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के संबंध में मुझ यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि यह शासनादेश उन सभी प्रकार के भवन मानचित्रों पर लागू होगा चाहे वह एक तल के हों अथवा बहुखण्डी या बहुमंजिले निर्माण के हों। ऐसे मानचित्र जो स्वीकृति के उपरांत उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि तक उपभोगी को अवमुक्त नहीं किये गये थे, पर भी शासनादेश में निर्धारित प्राविधान लागू होगें। उपरोक्त शासनादेश दिनॉक 22–1–98 तदनुसार संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव